

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग






रीना देवी

वाद संख्या 263/17

-बनाम-

केस का प्रकार 107 दंड प्रो सं०

किशोर मिश्रा

तारीख	-: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :-	अभियुक्ति
13.07.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>सचिव, डी०एल०एस०ए०, हजारीबाग के पत्रांक 588, दिनांक 18.06.18 में उल्लेखित है कि हजारीबाग व्यवहार न्यायालय परिसर में दिनांक 14.07.2018 को National Lok Adalat का आयोजन किया गया है।</p> <p>अतः उपरोक्त वर्णित पत्र के आलोक में इस वाद को निस्तारण हेतु National Lok Adalat, Hazaribagh भेजा जाता है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> 13/07/18 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।</p> <p> 13/07/18 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।</p>	
14.07.2018	<p>अभिलेख नेशनल लोक अदालत में उपस्थापित।</p> <p>वाद काल बाधित हो चुका है। अतः वाद की कार्रवाई बिना किसी प्रभावी आदेश के समाप्त की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।</p> <p> 14/07/18 MLA I</p> <p> 14/7/18 MLA II</p> <p></p>	